



(☎022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &  
22824354

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg,

मुंबई/ Mumbai - 400 001.

संदर्भ Ref : 7/14/2016/IR&W/6045

मई May 08, 2023

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस के तहत परिवार के आश्रित सदस्यों की आय सीमा में संशोधन

Sub : Revision of income limit for dependent family members under CHSS

छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद ऐसे सीएचएसएस लाभार्थियों के वे अभिभावक जो लाभार्थी पर पूरी तरह से निर्भर हैं तथा मुख्य लाभार्थी के साथ रह रहे हैं उन्हें सीएचएसएस में कवरेज का विस्तार देने के उद्देश्य से दिनांक 30.03.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 714/98-आईआर एंड डब्ल्यू/65 द्वारा उनकी आय सीमा को बढ़ाकर 8,000/- रुपए की गई थी। जबकि बच्चों की निर्भरता के संबंध में छठे सीपीसी के बाद आय सीमा को संशोधित नहीं किया गया था। विभाग ने दिनांक 27.07.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/7/99-आईआर एंड डब्ल्यू/200 द्वारा बच्चों के लिए आय की सीमा 4000/- रुपये निर्धारित की थी।

On implementation of recommendations of 6<sup>th</sup> CPC the income limit for dependency for the purpose of extending CHSS coverage to the parents who are wholly dependent on the prime beneficiary and are normally residing with the prime beneficiary was enhanced to Rs. 8,000/- vide OM No. 714/98-IR&W/65 dated 30.03.2009. Whereas, in respect of dependency of children the income limit was not revised after 6<sup>th</sup> CPC. Department had fixed the income limit for children to Rs. 4000/- vide OM No.-1/7/99-IR&W/200 dated 27.07.2000.

2. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 28.12.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/14/2016/आईआर एंड डब्ल्यू/17165 के तहत, आश्रित माता-पिता के संबंध में सीएचएसएस के अंतर्गत आय सीमा में संशोधन सीएचएसएस खंड 4.1(डी) को प्रतिस्थापित किया गया है कि इसके अनुसार ऐसे माता-पिता सीएचएसएस सुविधा के पात्र होंगे जो पूरी तरह से मुख्य लाभार्थी पर निर्भर हैं और सामान्य रूप से मुख्य लाभार्थी के साथ रहते हैं साथ ही माता-पिता दोनों की सभी स्रोतों से मासिक आय प्रतिफल की तिथि को 9000/- रुपये तथा मँहगाई राहत (डीआर) से अधिक न हो। (डीआर प्रतिफल की तिथि पर एक पेंशनभोगी द्वारा निकाली गई राशि होगी न कि प्रतिफल की तिथि पर देय डीआर की राशि)।

Consequent on the implementation of 7<sup>th</sup> CPC recommendations, vide OM No. 7/14/2016/IR&W/17165 dated 28.12.2016, revision of income ceiling limit under CHSS in respect of dependent parents are substituted the CHSS Clause 4.1(d) that Parents of the prime beneficiary who are wholly dependent on the prime beneficiary and normally residing with the prime beneficiary and further provided the monthly income of both the parents from all sources does not exceed Rs. 9000/- plus the amount of Dearness Relief (DR) as on the date of consideration (DR will be the amount drawn by a pensioner on the date of consideration and not the amount of DR due on the date of consideration).

जारी...2/-

3. आगे सीएचएसएस अनुच्छेद 4.1. B(b)(i) में प्रावधान किया गया है कि यदि संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाता है तो बच्चों को अंशकालिक रोजगार के मामले में लाभकारी रूप से नियोजित नहीं माना जाएगा साथ ही उनकी मासिक आय 6,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। Further CHSS Clause 4.1.B(b)(i) substituted as Children will not be considered as gainfully employed in case of part time employment, if the same is certified to be so by the employer concerned and the monthly income does not exceed Rs. 6,000/-.

4. विभाग में कर्मचारी के बच्चों के संबंध में सीएचएसएस के तहत आय सीमा में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। इस मामले को सीएचएसएस समीक्षा समिति के पास विचार के लिए भेजा गया। सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने इसके लिए अनुमोदन प्रदान किया है और सीएचएसएस के तहत प्रासंगिक खंड निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

A request for revision of income ceiling limit under CHSS in respect of children of employee is received in the Department. The matter has been referred to the CHSS Review Committee for consideration. As per recommendation of CHSS Review Committee, the Competent Authority has accorded approval for same and the relevant clause under CHSS is substituted as follows :

5. सीएचएसएस नियमावली का अनुच्छेद 4.1B(b)(i) - यदि संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाता है और मासिक आय क्रमशः 9,000/- + डीए/डीआर से अधिक नहीं है तो अंशकालिक रोजगार के मामले में बच्चों को लाभप्रद रोजगार के रूप में नहीं माना जाएगा।

Clause 4.1B(b)(i) of CHSS Rules - Children will not be considered as gainfully employed in case of part-time employment, if the same is certified to be so by the employer concerned and the monthly income does not **exceed Rs. 9,000/- + DA/DR** thereon respectively.

6. यह कार्यालय ज्ञापन जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा  
This OM will be effective from the date of its issue.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।  
This issues with the approval of the Competent Authority.

(ई.रवींद्रन E. Ravendiran)

निदेशक (आईआर एण्ड डब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस प्रशासनाधीन सभी प्राधिकारी/इकाइयों के प्रमुख/इकाइयों के प्रशासनिक प्रधान  
All CHSS Administering Authorities / Heads of Units / Administrative Heads of Units:

प्रतिलिपि Cc : 1. अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग व सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय  
O/o Chairman AEC & Secretary, DAE  
2. संयुक्त सचिव (प्र.एवं ले.) का कार्यालय O/o JS(A&A)  
3. प्रमाणु ऊर्जा विभाग, दर्पण DAE, Darpan.